The question is:-

"That the Bill further to amend the Constitution of India, be taken into consideration" .

The motion was negatived.

...(Interruptions)...

SHRI B.K. HARIPRASAD: This Government is anti-OBCs...*(Interruptions)...*

(At this stage, some hon. Members left the Chamber)

THE VICE-CHAIRMAN (DR. SATYANARAYAN JATIYA): The next agenda for consideration is the Abolition of Capital Punishment Bill, 2016. Shri Pradeep Tamta to move the motion.

The Abolition of Capital Punishment Bill, 2016

श्री प्रदीप टम्टा (उत्तराखंड): महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं:-

कि भारत में मृत्युदंड का उत्सादन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाए।

माननीय उपसभाध्यक्ष महोदय, मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे इस बिल पर अपने विचार रखने की अनुमति दी। महोदय, यह बहुत ही महत्वपूर्ण बिल है। मैं जानता हूं कि आज की दुनिया में और विशेषकर भारतवर्ष में अलग-अलग तरह की धाराएं चल रही हैं। हमारा संविधान सबको जीने का अधिकार देता है। यह न्यायशास्त्र की पुरानी परिपाटी थी कि जहां आंख के बदले आंख को लेने की परिपाटी थी।...**(व्यवधान)**... सर, मैं चाहूंगा कि हाउस ऑर्डर में हो।

उपसभाध्यक्ष (डा. सत्यनारायण जटिया): कृपया सदन में शांति बनाए रखिए। मेरा सभी माननीय सदस्यों से आग्रह है कि सदन को चलाने के लिए अपने-अपने स्थान पर बैठ कर सदन की कार्यवाही को चलाने में मदद करिए। श्री प्रदीप टम्टा जी आप अपनी बात रखिए।

श्री प्रदीप टम्टा: सर, मैं आपका आभारी हूं। जब दुनिया में jurisprudence, न्यायशास्त्र बदल रहा है, हम मानते हैं कि व्यक्ति मूल रूप से अपराधी नहीं होता है...**(व्यवधान)**... सर, हाउस को ऑर्डर में लाइए। न्यायशास्त्र का मुख्य नियम है...**(व्यवधान)**...

उपसभाध्यक्ष (डा. सत्यनारायण जटिया): श्री प्रदीप टम्टा जी, आप बोलिए। मैंने सभी को कह दिया है। बाजवा जी आप तो सीनियर मेम्बर हैं और अनुभवी हैं। आप बाहर लॉबी में जाकर बात कर सकते हैं। सदन की कार्यवाही को चलने दीजिए। टम्टा जी, आप अपनी बात रखिए।

श्री प्रदीप टम्टा: सर, मेरे द्वारा जो बिल लाया गया है, भारतीय दंड संहिता और अन्य बहुत से मामलों में विभिन्न अपराधों के लिए, आईपीसी की धारा के तहत, जो अधिकतम सजा है और बहुत से अन्य मामलों में भी, यह मृत्युदंड है। मैं चाहता हूं कि आज की दुनिया बदल रही है, आज का jurisprudence बदल रहा है। वह दौर गया जब आंख के बदले आंख के द्वारा सजा

[श्री प्रदीप टम्टा]

दी जाती थी। आज का न्यायशास्त्र है, समाज आगे बढ़ रहा है, देश और दुनिया आगे बढ़ रही है कि आज व्यक्ति अपराधी नहीं है, वे परिस्थितियां अपराधी हैं, उन परिस्थितियों को समाप्त किया जाए, जिससे कि समाज के अंदर अपराध बढ़ रहे हैं। यही कारण है कि देश के अंदर भी और दुनिया के अदंर भी मृत्युदंड की समाप्ति की बात चल रही है। यूएन असेम्बली ने 2007 से लगातार हर वर्ष अपने सदस्य देशों से अनुरोध किया है कि या तो मृत्युदंड समाप्त कर दें या उस पर प्रतिबंध लगा दें। आज लगभग पूरी दुनिया में 140 देश हैं, जिन्होंने मृत्युदंड पर एक तरह से रोक लगा दी है या तो समाप्त कर दिया है या व्यवहार में उस पर प्रतिबंध लगा दिया है। हम दुनिया के मात्र 53 देशों में हैं, जो अभी भी मृत्युदंड को अपनी आईपीसी में, अपने अपराध शास्त्र में बनाए हुए हैं। दुनिया में अमेरिका (यूएसए) के अलावा काफी देश ऐसे हैं, जहां तक लोकतंत्र की जड़ें मजबूत नहीं हैं। इसलिए मेरा आपसे अनुरोध है, जब भारत वर्ष में आईपीसी 1860 को introduce किया गया था... उस समय मात्र 6 तरह के अपराधों में मृत्युदंड की सजा होती थी। वर्ष 2015 में विधि आयोग ने अपनी रिपोर्ट दी थी। लगभग 33 धाराओं में से आईपीसी की 11 धाराओं में capital punishment दी जाती थी। जो आईपीसी से अलग धाराएं हैं, जिनमें आर्म्स एक्ट्स हैं, एयरफोर्स एक्ट है, आईटीबीपी है, पैरामिलिट्री फोर्सेज़ के कानून हैं, पॉयरेसी पर कानून हैं, समुद्र में डकैती करने पर कानून है, ऐसे बहुत से अन्य मामलों में अपराध होते हैं, जिनमें मृत्युदंड की सजा देने का प्रावधान है।

महोदय, एक तरफ हमारे ट्रायल कोट्र्स हैं, जो निचले न्यायालय हैं, वहां पिछले वर्ष 2018 में लगभग 162 लोगों को मृत्युदंड की सजा दी गई और देश के सुप्रीम कोर्ट ने 12 मामलों में, जिनमें मृत्युदंड की सजा थी, उनमें से 11 मामलों में मृत्युदंड को आजीवन कारावास में बदल दिया और मात्र एक मामले में मृत्युदंड की सजा को बरकरार रखा। अगर निचले कोट्र्स सजा को बरकरार रख रहे हैं, तो देश का सर्वोच्च न्यायालय भी, उसके बारे में कह रहा है कि यह हमारे न्यायशास्त्र की परिभाषा से दूर रहना चाहिए। हां, जो हमारी व्यवस्था है, उसमें हम अपराधों की रोकथाम नहीं कर पा रहे हैं। सरकारें उन परिस्थितियों को नहीं ढूंढ़ पा रही हैं, जिनकी वजह से समाज में अपराध बढ़ रहे हैं। हमारे समाज में क्यों अपराध बढ़ रहे हैं, क्यों इस तरह के जघन्य अपराध हो रहे हैं, उनको कैसे रोका जाए, इस बात पर ध्यान नहीं दिया जाता है, बल्कि हर मर्ज का इलाज यह माना जा रहा है कि आदमी को फांसी पर लटका दिया जाए। महोदय, इसी बीच छुन्नु लाल वर्मा V/s छत्तीसगढ़ स्टेट में जस्टिस कुरियन साहब ने फिर दोबारा कहा है कि अब समय आ गया है कि मृत्युदंड को समाप्त करने के बारे में हमको सोचना चाहिए।

महोदय, वर्ष 2015 लॉ कमीशन ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की थी और उस रिपोर्ट में भी लॉ कमीशन ने कहा है कि मृत्युदंड की कोई आवश्यकता नहीं है। मृत्यु दंड के संबंध में अक्सर कहा जाता है कि मृत्युदंड देने से भय बना रहता है, भय के कारण अपराध रुकते हैं। इस बारे में तमाम तरह की स्टडीज़ हुई हैं, अध्ययन हुए हैं, कहीं पर यह बात सामने नहीं आ रही हे कि जहां-जहां पर मृत्युदंड देने की व्यवस्था है, वहां अपराध कम हुए हैं। विधि आयोग की 262वीं रिपोर्ट में भी मृत्युदंड को समाप्त करने की सिफारिश की है। विधि आयोग की रिपोर्ट में कहा भी गया

है कि प्रतिशोध में दंड की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। तथापि उसे प्रतिहिंसा तक नीचे नहीं लाया जा सकता है। "एक आंख के लिए एक आंख, दांत के लिए दांत" की धारणा का हमारे संवैधानिक रूप से मध्यस्थता की गई आपराधिक न्याय प्रणाली में कोई स्थान नहीं है। यह खुद विधि आयोग की जो 262वीं रिपोर्ट है, उसमें कहा गया है। सवाल है कि हमारे अपराध शास्त्र में अनगिनत रूप से ऐसे लोगों को, जहां ठीक से इन्वेस्टिगेशन नहीं होता है, लोगों को सजा दे दी जाती है। खुद विधि आयोग की रिपोर्ट में यह कहा गया है। अनगिनत समितियों की रिपोर्ट और उच्चतम न्यायालय के निर्णयों ने यह माना है कि देश में आपराधिक न्याय का अपना शासन गहरे संकट में है। स्रोतों की कमी, अन्वेषण के पुराने तरीके, अधिक काम में लगा हुआ पुलिस बल, अप्रभावी अभियोजन और कम विधिक सहायता कुछ ऐसी समस्याएं हैं, जो प्रणाली को घेरे हुए हैं। मृत्युदंड इस संदर्भ के भीतर कार्य करता है और इसलिए उएसी संरचनात्मक और व्यवस्था संबंधी बाधाओं से पीड़ित है। प्रणाली की उच्छृंखलताएं भी ऐसे सामाजिक और आर्थिक रूप से हाशिये पर व्यक्तियों के विरुद्ध अनुपातिक रूप से कार्य करती हैं, खुद विधि आयोग मान रहा है कि अननुपातिक रूप से मृत्युदंड की सजा समाज का, जो मार्जिनल वर्ग है, जो वंचित वर्ग है, वह इसको सबसे ज्यादा भुगत रहा है। जिनके पास विरोधी आपराधिक न्याय प्रणाली के भीतर अपने अधिकारों की प्रभावी रूप से वकालत करने के लिए स्रोतों की कमी है। मृत्युदंड पर जो विधि आयोग की रिपोर्ट आई है, उसके बारे में सिर्फ विधि आयोग ने अपने आप अध्ययन नहीं किया है, बल्कि खुद देश की सर्वोच्च न्यायालय ने दो-तीन महत्वपूर्ण मामलों में निर्णय देते हुए, विधि आयोग को लिखा था कि अब समय आ गया है कि मृत्युदंड के बारे में इस देश को पुनर्विचार करना चाहिए और सबसे अच्छा फोरम हमारा विधि आयोग ही हो सकता है। महोदय, इसलिए विधि आयोग को इस बारे में अध्ययन करना चाहिए। कुछ समय पहले, लॉ कमीशन ने देश के अंदर, देश की जुडिशियरी से जुड़े लोगों और समाज के हर वर्ग के लोगों से जुड़कर इस पूरे मामले का अध्ययन किया और उसकी रिपोर्ट दी और उसी आधार पर अपनी संस्तुतियां दीं।

महोदय, मृत्युदंड को बनाए रखने और लाने वाले ने खुद ही रिपोर्ट में कहा है कि छोटे से देशों का एक समूह है, यहां यह व्यवस्था है। विधि आयोग खुद कह रहा है कि सिर्फ आतंकवाद के अलावा देश में मृत्युदंड के प्रावधान को समाप्त कर देना चाहिए। विधि आयोग ने अपनी अंतिम संस्तुति में कहा कि आतंकवाद को अन्य अपराधों से भिन्न रूप में मानने के लिए कोई विधि सम्मत न्यायशास्त्र नहीं है। अगर कुछ देर के लिए मान भी लें, तो भी मेरा कहना है कि आतंकवाद एवं देशद्राह जैसे आरोपों के लिए इस व्यवस्था को रखकर बाकी अन्य सभी अपराधों के लिए मृत्युदंड को समाप्त किया जाना चाहिए। इस बारे में खुद विधि आयोग कह रहा है कि इस बारे में हमारे पास कोई थ्योरी नहीं है, जिससे कि आतंकवाद के मामलों को या देशद्रोह के मामलों को हम अन्य मामलों से अलग कर सकें, फिर भी उन्होंने सिफारिश की है कि आतंकवाद के अलावा अन्य तमाम मामलों में भारत सरकार IPC की धारा से अथवा सभी धाराओं से मृत्युदंड को समाप्त कर दे। विधि आयोग की अंतिम इच्छा है कि यह रिपोर्ट, सभी अपराधों के लिए मृत्युदंड समाप्त किए जाने से अधिक तार्किक सिद्धान्त को एवं उस पर उचित विचार-विमर्श में योगदान देगी। यह विधि आयोग की रिपोर्ट है।

[श्री प्रदीप टम्टा]

महोदय, मैं एक नया प्रकरण बता रहा हूं। हम लोग समाज में किस तरह की स्थिति में जी रहे हैं। हमारे देश के वंचित और गरीब वर्ग के लोग किस स्थिति में जी रहे हैं। अभी एक लेटेस्ट मामला, दिनांक 5 मार्च, 2019 का है। केस है-अंकुश मारुति शिंदे तथा अन्य बनाम महाराष्ट्र राज्य। यह केस वर्ष 2003 का है। किसी के घर में डकैती हुई। उसमें पांच लोगों को मार दिया गया। उसके बाद ट्रायल केस चला। किसी के खिलाफ FIR में कोई नाम नहीं आया। पुलिस ने एक या दो महीने के बाद छ: लोगों को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया और वे सब आदिवासी समाज के लोग थे। मामला सैशन कोर्ट, नासिक में चला और वर्ष 2006 में उन छ: अभियुक्तों को IPC की धारा 302 के अंतर्गत मृत्युदंड दे दिया। सभी अभियुक्तों ने अपनी सजा के खिलाफ मुम्बई हाई कोर्ट में अपील की। मुम्बई हाई कोर्ट ने तीन की मृत्युदंड की सजा को बरकरार रखा और तीन की सजा को आजीवन कारावास में बदल दिया। वर्ष 2009 में, जिनकी मृत्युदंड की सजा बरकरार रखी थी, उन्होंने अपनी सजा को कम कराने और राज्य सरकार, जिन्हें मृत्युदंड की सजा को कम करके आजीवन कारावास में बदल दिया गया, उन्हें मृत्युदंड दिलाने के लिए सुप्रीम कोर्ट गई। वर्ष 2009 में सुप्रीम कोर्ट ने, हाई कोर्ट के निर्णय को पलटते हुए, जिन तीन लोगों को मृत्युदंड दिया गया था, उन्हें कन्फर्म कर दिया और इसके साथ ही साथ जिन्हें आजीवन कारवास की सजा दी थी, उन्हें भी मृत्युदंड की सजा दे दी गई। इस प्रकार सभी छ: लोगों को सुप्रीम कोर्ट द्वारा मृत्युदंड दे दिया गया। वर्ष 2009 के बाद रिव्यू पिटीशन आई और वर्ष 2018 में सुप्रीम कोर्ट ने रिव्यू पिटीशन सुनवाई के लिए स्वीकार की और मार्च 2019 में उस केस में पुन: फैसला दिया गया। यह भारतीय न्यायशास्त्र और सुप्रीम कोट्र के इतिहास में पहला ऐसा उदाहरण है, जिसमें सुप्रीम कोर्ट के तीन जजों की रिव्यू बैंच ने अपने ही निर्णय को बदल दिया और उन छ: लोगों को दोषमुक्त कर दिया। सिर्फ दोषमुक्त ही नहीं किया, बल्कि बैंच ने कहा कि ये सभी छ: लोग निर्दोष थे, ये कहीं से भी उस अपराध में सम्मिलित नहीं थे, पुलिस ने जो अन्वेषण और इन्वेस्टिगेशन किया, वह ठीक नहीं था और पुलिस द्वारा उन्हें गलत ढंग से फंसाया गया है। अत: हम इन छ: लोगों को बाइज्जत बरी करते हुए दोषमुक्त करार देते हैं। इसके बाद दूसरी ओर सुप्रीम कोर्ट ने यह निर्णय भी दिया कि वे कौन से पुलिस अधिकारी थे, जिन्होंने इस प्रकरण में इन्वेस्टिगेशन किया, उन सभी के खिलाफ विभागीय कार्रवाई के निर्देश महाराष्ट्र सरकार को दिए। सुप्रीम कोर्ट का अगला कदम था, चूंकि पांच लोगों की मृत्यु हुई है, वे मारे गए हैं, उनके अपराधी कौन हैं? उनको भी सजा मिलनी चाहिए, इसलिए महाराष्ट्र सरकार के नये सिरे से उस केस की इन्वेस्टिगेशन के लिए कहा। वे लोग सोलह बरसों तक जेल में रहे। उन छह में से जो एक व्यक्ति पकड़ा गया था, उनमें पांचवां एक नाबालिक भी था। उनके निर्दोष सोलह सालों को कौन दे पाएगा? इसीलिए कहा जा रहा है कि मृत्युदंड के बारे में नये सिरे से विचार करने की जरूरत है।

महोदय, भारत में मृत्युदंड की समाप्ति के लिए और केपिटल पनिशमेंट के लिए अलग-अलग संदर्भों में अलग-अलग समय में समीक्षाएं आईं। 1860 में, जब आईपीसी बनी, तब मात्र छह धाराओं के लिए मृत्युदंड था, सीआरपीसी की धारा 367 के अनुसार अगर किसी मामले में मृत्युदंड और

अन्य कोई सजा दी जा सकती है, तो उसमें यह कहा जाता था कि अगर न्यायालय ने मृत्युदंड की सजा नहीं दी है, कोई दूसरी सजा दी है, जैसे आजीवन कारावास की सजा दी हे, तो न्यायालय को बताना पड़ेगा कि उन्हें मृत्युदंड क्यों नहीं दिया गया। यह शुरुआती दौर था। उस दौर में भी जब देश गुलाम था, आज़ादी के लिए संघर्ष कर रहा था, तब भी मृत्युदंड की समाप्ति के लिए जन प्रतिनिधियों ने आवाज़ उठाई थी। केंद्रीय सभा मे बिहार से एक सदस्य श्री गया प्रसाद जी थे, उस समय उन्होंने यह कहा कि मृत्युदंड समाप्त होना चाहिए। तत्कालीन ब्रिटिश गवर्नमेंट थी, उसने इस बात को माना नहीं था।

उपसभाध्यक्ष (डा. सत्यनारायण जटिया): प्रदीप टम्टा जी, अभी बोलने वाले आपके एक और साथी वक्ता हैं। आप इसको तय कर लीजिए कि उनको कितना समय देना है।

श्री प्रदीप टम्टा: पंद्रह मिनट हो गए हैं।

श्री बी.के. हरिप्रसाद: सर, वे मूव कर रहे हैं।

उपसभाध्यक्ष (डा. सत्यनारायण जटिया): आपकी वह बात सही है, आप मूव कीजिए, लेकिन टाइम तो उतना ही है।

श्री प्रदीप टम्टा: मैं चाहता हूं कि इस बिल पर पूरी चीजें आ जाए, उसके बाद समाप्त कर दूं।

उपसभाध्यक्ष (डा. सत्यनारायण जटिया): बातचीत करने के लिए मनाही नहीं है। आप चर्चा कीजिए, लेकिन अपने साथी की भी चिंता करें।

श्री प्रदीप टम्टा: सर, देश आज़ाद हुआ। मैं यह चीज़ कह रहा था कि संसद से देश खुला, हम आज़ाद हुए। संसद ने 1955 में कानून में संशोधन किया और सीआरपीसी की धारा को महत्वपूर्ण बनाया। पहले जहां कोर्ट के लिए अनिवार्य था कि यदि मृत्युदंड और दूसरे कारावास में मृत्युदंड नहीं दिया जाता था, तब आपको कारण बताना पड़ता था कि आपने मृत्युदंड क्यों नहीं दिया? 1955 में इसको बदल दिया गया। अगर किसी अपराध के लिए मृत्युदंड या आजीवन कारावास में से, दोनों में से काई है, अगर आप मृत्युदंड देंगे तो कारण बताना पड़ेगा। मृत्युदंड की अनिवार्यता को समाप्त कर दिया। अगर आप किसी पर मृत्युदंड आरोपित करते हैं, तब आपको उसको कारण बताना पड़ेगा। सर, यह सिलसिला आगें तक बढ़ता गया। 1980 में देश के सर्वोच्च न्यायालय में यह मामला फिर आया कि क्या मृत्युदंड अनुच्छेद 21 के अनुसार संवैधानिक है? बचन सिंह मामला, युनियन ऑफ इंडिया पंजाब का मामला था। वहां पर judiciary ने कहा फैसला दिया था कि मृत्युदंड constitutional है, लेकिन फिर जस्टिस भगवती का निर्णय आया। उसमें भी सुप्रीम कोर्ट की कोई धारा थी कि अब मृत्युदंड rarest of the rare केस में, यानी विरलतम से विरलतम मामले में होना चाहिए। देश की न्यायपालिका उस आरे बढ़ रही थी कि विरलतम से विरलतम मामले में फांसी की सजा दी जानी चाहिए। अगर आप इस पूरे घटनाक्रम को देखते हैं, तो ट्रायल कोर्ट से लेकर हाई कोर्ट तक लगभग अनिवार्यता है। अगर किसी मामले में - मान लीजिए मृत्युदंड का मामला है, जिसमें अपराध होगा,

[श्री प्रदीप टम्टा]

उसका सेशन कोर्ट में ट्रायल होगा। इस प्रक्रिया में लगभग चार-पांच साल लग ही जाते हैं। उसके बाद यदि मृत्युदंड दे ही दी है, तो हाई कोर्ट को कन्फर्म करना पड़ता है, तभी मृत्युदंड दिया जा सकता है। हाई कोर्ट से कन्फर्म होने के बाद सुप्रीम कोर्ट जाएगा, सुप्रीम कोर्ट से फिर मर्सी पिटिशन होगी। इस तरह से लगभग 16 बरस तक लग जाते हैं।...**(समय की घंटी)**...

महोदय, मैं चीज़ कहना चाहता हूं कि दिल्ली में हमारी नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी है। उन्होंने इसके एक और मामले पर अपना अध्ययन किया है कि आखिर इस देश में मृत्युदंड के सबसे ज्यादा शिकार कौन लोग हो रहे हैं? अधिकतम तो हमारे यहां, 2010 से लेकर 2018 तक, दो-तीन मामलों में मृत्युदंड की सजा दी गई है। लेकिन पिछले वर्ष 2018 में Trial Court में 262 लोग मृत्युदंड प्राप्त हैं। कौन ऐसे लोग हैं, जो अधिकतम रूप से सजा के भागीदार हैं? यह मेरी रिपोर्ट नहीं है, socio-economic profile है, यह National Law University, Delhi की रिपोर्ट है, जो यह कह रही है कि अगर इस समय सबसे ज्यादा मृत्युदंड के कोई शिकार हैं, तो वे देश के, समाज के कमजोर वर्ग के लोग हैं। अभी सदन में बड़ी बात चल रही थी कि अधिकतम लोग या तो गरीब लोग हैं या अशिक्षित लोग हैं या SC वर्ग के हैं, ST वर्ग के हैं या minority के लोग हैं। इन लोगों के लिए खुद लॉ कमीशन ऐसा कह रहा है। हमारे जेलों की भी स्थिति यह है, मेरे पास यह रिपोर्ट है। उन्होंने जिन 372 लोगों के social profile का अध्ययन किया था, उनमें से OBC के 34 परसेंट, SC और ST के 24 परसेंट और 5 परसेंट, religious minorities के 20 परसेंट और General के 24 परसेंट लोगों को मृत्युदंड की सजा दी गई थी। अगर आप देखें, तो भारत की सरकारी सेवाओं में SC, ST और OBC ...

उपसभाध्यक्ष (डा. सत्यनारायण जटिया): टम्टा जी, मैं यह कह रहा हूं कि आपको इसका reply भी करना है, तो आपके पास बाद में भी बोलने का अवसर है। आपकी पार्टी की ओर से एक नाम और आया हुआ है और उसके लिए केवल पांच मिनट समय बचा है। अगर आप वे पांच मिनट्स भी ले लें, तो आपकी पार्टी का समय खत्म हो जाएगा।

श्री प्रदीप टम्टा: मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहता हूं कि मृत्युदंड के अपराध और इसकी सजा पर हर जगह, इस सदन में भी चर्चा होती है। अभी विजयसाई रेड्डी जी का भी सवाल आया था। अगर हम नौकरियों में representation देखें, तो वहां SC, ST, OBC नहीं दिखते हैं, विधान सभाओं, लोक सभा और राज्य में दिखते हैं, वे वहां नहीं दिखते हैं, लेकिन जेलों में सबसे ज्यादा दिखते हैं। जहां अपराध के लिए समाज के द्वारा सजा दी जाती है, वहां ये लोग सबसे ज्यादा दिखाते हैं। इसलिए मेरा सरकार से अनुरोध है कि जब दुनिया मृत्युदंड की समाप्ति की ओर जा रही है, जब हमारे विधि आयोग ने भी इसकी संस्तुति कर दी है सिर्फ आतंकवाद और दूसरे मामलों में यह सजा होनी चाहिए, उसने खुद कहा कि यह भी कोई जरूरी नहीं है, तो मैं चाहता हूं कि मृत्युदंड के मामले में सरकार को तमाम तरह से सोचना चाहिए। सरकार को उन परिस्थितियों का अध्ययन करना चाहिए कि investigation में, अन्वेषण में कहां कमी है, जेलों में क्या स्थिति है,

किस तरह से अपराधियों को सजा दी जा सकती है, लेकिन इन अपराधों में अधिकतम मामलों में मृत्युदंड को समाप्त करना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने बहुत से मामलों में एक रास्ता दिखाया है। उसने कहा कि दो स्थितियां हैं। सर, मैं एक मिनट में समाप्त कर रहा हूं। मृत्युदंड के मामले में वह कहता है कि या तो आजीवन कारावास है या मृत्युदंड है। आजीवन कारावास और मृत्युदंड के बीच में एक स्थिति वे नहीं लिख रहे हैं, वह यह है कि कोट life term की सजा दे सकता है, यानी जब तक उसका जीवन है, हम उसको जेल की सजा दे सकते हैं। सरकार को इस ओर आगे बढ़ना चाहिए। जय हिन्द। धन्यवाद।

The question was proposed.

SHRI HARSHVARDHAN SINGH DUNGARPUR (Rajasthan): Mr. Vice-Chairman, Sir, there are 56 countries that retain capital punishment, and 106 countries have completely abolished it. Sir, it is a matter of active controversy in several countries even today. Sir, the Council of the European Union, which has 47 countries, has sought to abolish death penalty. Although most of the countries have abolished capital punishment, about 60 per cent of the world¿ s population live in countries where death penalty is retained. This is an important point, Sir. China, India, the US, Pakistan, Bangladesh, Nigeria, Ethiopia, Egypt, Saudi Arabia, Iran and most of the Islamic countries, Japan and South Korea have capital punishment. China executes more people than all the other countries put together, although the execution number has been coming down in subsequent years. Sir, the support to capital punishment is growing in India especially after 2010 due to the brutal cases of rape and other crimes which are happening today. Sir, a lot of countries in the world are again considering to reintroduce capital punishment, for example, South Africa. The younger generation in countries like Mexico and Brazil, aged between 25 and 34 years, constitute about 61 per cent of the total population. They say they want capital punishment, and they want to reintroduce it. And we introduced it. Sir, death penalty is morally justified with murder of children, homicide and terrorism.

Sir, I don' t support the Bill to abolish capital punishment. We live in an environment of volatile neighbours who promote espionage treason against India and also support terrorism, and we have bled enough in the past and still facing the threat like Pulwama and other terrorist threats, especially, Kashmir and all that.

So, Sir, I am against the Bill and I am in support of capital punishment in India. Thank you very much.

उपसभाध्यक्ष (डा. सत्यनारायण जटिया): श्रीमती छाया वर्मा जी, आपके लिए दो मिनट का समय बचा है।

श्रीमती छाया वर्मा: जी सर, मैं दो मिनट में ही अपनी बात खत्म करूंगी।

उपसभाध्यक्ष (डा. सत्यनारायण जटिया): आप पांच मिनट में करिए, कोई दिक्कत नहीं है।

श्रीमती छाया वर्मा (छत्तीसगढ़): महोदय, आपने मुझे बोलने का मौका दिया, इसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। प्रदीप टम्टा जी जो विधेयक लाए हैं, "मृत्युदंड उत्सादन विधेयक, 2006", में इसके सपोर्ट में बोलने के लिए खड़ी हुई हूं। इसमें इन्होंने प्रस्ताव रखा है कि मृत्युदंड के प्रावधान को पूरी तरह हटाया जाना चाहिए। मृत्युदंड अंग्रेज़ों का लाया हुआ बिल था और आंग्रेज़ों के जमाने में मृत्युदंड हुआ करता था। लेकिन देश की आज़ादी के बाद उस व्यवस्था को यथावत् लागू कर दिया गया। आज की परिस्थिति में 140 देश मृत्युदंड के खिलाफ हैं, यानी 140 देश यह चाहते हैं कि मृत्युदंड की सज़ा किसी को भी न हो।

महोदय, 33 कोटि योनियों में भटकने के बाद जन्म लेकर मनुष्य इस धरती पर अवतरित होता है। बहुत तकलीफ और बहुत परेशानी से यह मानव जीवन मिलता है, इसलिए हमें कोई अधिकार नहीं है कि हम इस मानव जीवन को खत्म कर दें। सुधार गृह के रूप में जेलें हैं, इसलिए अगर कोई व्यक्ति गलत काम कर रहा है, उसने कोई गलत अपराध किया है, तो उसको जेलों में, सुधार गृह में सुधारिये। कभी-कभी क्षणिक आवेश में भी अपराध हो जाता है। छत्तीसगढ़ में अभी छ: पुरुषों और एक महिला के लिए मृत्युदंड की सज़ा का प्रावधान किया जाना तय है, अभी उन्हें सज़ा मिली नहीं है, केवल विचाराधीन है। मैं इस सदन को बताना चाहूंगी कि इनमें एक लड़की थी, वह स्कूल गई हुई थी और जब वह स्कूल से घर आई, तो उसकी भाभी अपने शरीर पर मिट्टी का तेल डालकर, आग लगा चुकी थी और उसकी मृत्यु भी हो चुकी थी। इसमें उस स्कूल गई हुई लड़की का क्या अपराध था? उसे तो कुछ पता भी नहीं था। लेकिन अगर हम उसे मृत्युदंड देते हैं, तो यह हमारे समाज के लिए बहुत बड़ा कलंक है। इसकी जांच होनी चाहिए। उसे सज़ा इसलिए मिल रही है, क्योंकि वह लड़की गरीब घर की है और उसके लिए लड़ने वाला कोई नहीं है, बात करने वाला कोई नहीं है। आज वह मृत्युदंड की सज़ा पाने के लिए खड़ी हुई है।

ये जो जेलें हैं, इन्हें सुधार गृह के रूप में रूपांतरित किया जाए, लेकिन मृत्युदंड पूरी तरह से खत्म होना चाहिए। मैं इसके बहुत खिलाफ हूं। मानव को जीवन जीने का अधिकार मिला हुआ है, उसको जीवन दान मिला हुआ है, इसलिए मृत्युदंड की सज़ा का जो विधान है, उसे खत्म किया जाना चाहिए। अगर हम इतिहास में देखें, तो पुराने जमाने में यदि कोई निम्न श्रेणी का व्यक्ति किसी उच्च श्रेणी के व्यक्ति को कुछ गलत बात कह देता था या कोई अपराध कर देता था, तो तत्काल उसे मृत्युदंड दे दिया जाता था। अगर गरीब कुल का कोई व्यक्ति उच्च कुल के व्यक्ति को कुछ बोले दे, तो मृत्युदंड दिया जाता था, लेकिन वहीं अगर कोई उच्च कुल का व्यक्ति किसी गरीब आदमी को कुछ भी बोल दें, तो उसे कोई सज़ा नहीं होती थी।...**(व्यवधान)**...

श्री रवि प्रकाश वर्मा: ब्राह्मण अवद्य माने जाते थे।

श्रीमती छाया वर्मा: महोदय, आज कलियुग में परिस्थतियां बदली हैं और इन बदली हुई परिस्थितियों में सभी को जीने का हक है। किसी को भी मृत्युदंड देने का अधिकार नहीं होना चाहिए। मैं सदन

से आग्रह करूंगी कि मृत्युदंड की सज़ा को हमेशा के लिए हटाया जाना चाहिए। आपने मुझे बोलने का मौका दिया, इसके लिए धन्यवाद।

उपसभाध्यक्ष (डा. सत्यनारायण जटिया): छाया जी, आप सीमित समय में अच्छा बोली हैं। विशम्भर प्रसाद निषाद जी, आपके पास बोलने के लिए छ: मिनट का समय है।

श्री विशम्भर प्रसाद निषाद (उत्तर प्रदेश): महोदय, हमारे लिए छ: मिनट का समय बहुत है।

उपसभाध्यक्ष महोदय, हमारे माननीय सदस्य, श्री प्रदीप टम्टा जी, जो "मृत्युदंड उत्सादन विधेयक, 2016" लेकर आए हैं, मैं उसका समर्थन करता हूं। जैसा इन्होंने बताया, 140 देशों ने मृत्युदंड को समाप्त करने का काम किया है। हमारे देश भारत में, आज़ादी के बाद से अब तक, 52 लोगों को मृत्युदंड दिया जा चुका है। इक्कीसवीं शताब्दी में मृत्युदंड का कोई प्रावधान नहीं है, यह संयुक्त राष्ट्र संघ कह रहा है। मैं इसमें बताना चाहूंगा कि अदालतों में गवाहियों में तमाम खामियां होती हैं। आज दुनिया के परिवेश में देखने को मिलता है कि जो बड़े से बड़ा अपराधी है, अपराध करके वह इसी दुनिया में रहता है, बड़े लोगों के साये में रहता है। उसके खिलाफ कोई गवाही भी नहीं दे सकता है और न उसके खिलाफ कोई कार्रवाई ही होती है। चाहे उसको डॉन कहिए या जो कहिए। इसे समाज में ऐसे गरीब लोग हैं, जिनके पास पैसा नहीं है, जो अदालतों में, सुप्रीम कोर्ट में वकील नहीं कर सकते हैं, हाई कोर्ट में वकील नहीं कर सकते हैं। पूरे देश में अगर सर्वे किया जाए, तो जितने कारागार हैं, उनमें देखने को मिलेगा कि जो गरीब आदमी है, एक्साइज़ एक्ट में बंद है, उसकी जमानत कराने वाला कोई नहीं है, वह दो-दो, चार-चार साल से बंद है और जो 302 का अपराध करके आता है, वह एक महीने में छूटकर चला जाता है। कारागार में उसे जो सुविधाएं चाहिए, सब मिल रही हैं। इसमें गवर्नमेंट को सुधार करना चाहिए। मैंने पिछली बार बताया था कि देश के जितने कारागार हैं, उनमें जो तिहाड़ जेल है, वह देश की सबसे सुरिक्षत जेल है। लोक सभा की सांसद फूलन देवी को मारने वाला शेर सिंह राणा तिहाड़ जेल से भाग गया, उस सुरक्षित जेल से, जो देश की सबसे बड़ी सुरक्षित जेल मानी जाती है और पता नहीं कौन-कौन से देश होकर आया, कहां-कहां क्या-क्या कहानी बनायी। तो इसमें तब्दीली होनी चाहिए। जो गरीब लोग हैं, उनको प्रोटेक्शन देनी चाहिए। चाहे वे जिस जाति-धर्म के हों, जिनके पास पैसा नहीं है, जो छोटी अदालतों में अपनी पैरवी नहीं कर सकते हैं, उनकी पैरवी करके उनके साथ न्याय करना चाहिए। उनको गलत नहीं फंसाना चाहिए।

वर्ष 2012 में सेवानिवृत्ति न्यायधीशों ने तत्कालीन राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी जी को पत्र लिखा था कि 1996 से अब तक सुप्रीम कोर्ट ने 15 लोगों को गलत तौर पर मृत्युदंड दिया था, जिनमें से दो लोगों को फांसी दी गयी थी। ऐसे मामले भी रहे, जिनमें मृत्युदंड के बाद शोध से जो निष्कर्ष निकला है, उससे चौंकाने वाली रिपोर्ट आयी है। तो ऐसा होता है कि चूक हो जाती है। चीफ जस्टिस कह रहे हैं और राष्ट्रपति जी के यहां गुहार लगा रहे हैं। मैं आपसे यह कहना चाहता हूं कि हमारे यहां की जो परम्परा है, हमारे यहां लोग जातियों में बंटे हुए हैं। अभी पुराने बिल पर चर्चा हो रही थी, पिछड़े वर्ग वाले बिल पर, कि कुछ आदमियों को जाति के आधार पर सम्मान मिलता है और कोई आदमी दलित समाज में पैदा हुआ, तो जाति के नाम पर उसको अपमान मिलता

[श्री विशम्भर प्रसाद निषाद]

है। लोग कहते हैं कि पिछड़े वर्गों का आरक्षण समाप्त करना चाहिए और दलित समाज का आरक्षण समाप्त करना चाहिए। हजारों सालों से जिनकी टांगें तोड़ दी गयी हैं, उनको आगे बढ़ाने के लिए आरक्षण की व्यवस्था की गयी है। इसी तरह से मृत्युदंड वाला यह विधेयक है। इसका मैं समर्थन करता हूं और यह कहना चाहता हूं कि जब तमाम देशों ने, 140 देशों ने इसे समाप्त कर दिया है, तो इसको समाप्त किया जाना चाहिए। हम देखते हैं कि इसके सुधार की प्रक्रिया होनी चाहिए कि इसके पीछे कारण क्या है, लॉजिक क्या है, इसके लिए विचार करना चाहिए कि लोग अपराधी क्यों बन रहे हैं।

(**श्री उपसभापति** *पीठासीन हुए*)

इसके लिए सरकार को चिन्तन करना चाहिए। जो जेलें हैं, वे आपराधिक बन गयी हैं। वहां पर जितने भी अधिकारी होते हैं, जेलर, अधीक्षक होते हैं, वे वहां मालामाल रहते हैं। जो खाना चाहो, खाओ, पैसा, स्मैक, असलहे, तमाम चीज़ें... जिला जज, एसपी, डीएम आदि चेकिंग करते हैं, तो वहां असलहे मिलते हैं, मोबाइल मिलते हैं, अपराध के सारे सामान मिलते हैं। ये कौन भिजवाता है? इसके लिए सुधार होना चाहिए। तो हमारे टम्टा जी जो मृत्युदंड को समाप्त करने के संबंध में जो विधेयक लाये हैं, मैं चाहता हूं कि इस पर हमारा देश विचार करे। कुछ अपवादों को छोड़ कर, जैसे बड़ी आतंकवादी घटनाएं हमारे देश में कहीं बाहर से करवायी जा रही हैं, ऐसे अपवादों को छोड़ कर जो देश के गरीब लोग हैं, जिनको नाजायज़ फंसा दिया जाता है..। हमारे उत्तर प्रदेश में पुलिस वाले जिसे चाहें झूठे केस में फंसा देते हैं और जिसे चाहें छोड़ देते हैं। इस देश में दोहरा कानून चल रहा है। जो समाज के बड़े आदमी हैं, उन्हें यदि किसी छोटी जाति का आदमी मार देता है तो वे अदालतों या थानों में FIR लिखाने नहीं जाएंगे। बल्कि उसका वहीं मर्डर कर देंगे, मार देंगे। जो गरीब है, लाचार है, परेशान है, केवल वही दरोगा जी के पास FIR लिखाने जाएगा। उसे भी आज खत्म कर दिया गया है। जिन मामलों में 7 साल से कम सजा का प्रावधान है, उनमें आदमी ठुक जाता है, मारा जाता है और फिर थाने के चक्कर लगाता रहता है कि मुझे फिर से मारा गया। अदालतें कहती हैं कि हम 7 साल से नीचे वाले को जेल नहीं भेजेंगे। देश के गरीबों, दलितों और पिछड़ों को न्याय पाने में जो कठिनाइयां पेश आ रही हैं, ऐसे कानूनों को समाप्त किया जाना चाहिए जिन मामलों में विशेष उपबंध है, जिनमें आतंकवादी गतिविधियां हैं, जिनसे देश को खतरा है, उनमें भी हमारे पोलिटिकल लोग कुछ ऐसे कानून बना देते हैं जिससे विपक्षी पार्टियों के लोगों को आतंकवादी गतिविधियों में फंसाकर, उन्हें फांसी पर चढ़ाने का प्रयास होता है, हिन्द महासागर में डुबाने का काम होता है - ऐसा नहीं होना चाहिए। माननीय टम्टा जी सदन में जो बिल लाए हैं, उसका हम समर्थन करते हैं और सरकार से चाहते हैं कि जितने ऐसे अपराधी हैं, उनके लिए आप सुधार-गृह की व्यवस्था कराएं, क्योंकि उनमें कुछ अच्छे लोग, विद्वान या इंजीनियर भी हो सकते हैं, जिनमें सुधार हो सकता है। यदि उनसे कोई गलती हुई है या नहीं हुई है, उन्हें सुधार का अवसर मिलना चाहिए।

इन शब्दों के साथ, मैं टम्टा जी द्वारा सदन में लाए गए बिल का समर्थन करते हुए, अपनी बात खत्म करता हूं, धन्यवाद।

श्री उपसभापति: माननीय सदस्यगण, इससे पहले कि मैं अगले वक्ता को आमंत्रित करूं, आपसे निवेदन है कि सदन में हम एक महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा कर रहे हैं, कम-से-कम आप आपस में बातें न करें। यदि आपस में बात करेंगे तो शायद आपकी तरफ से महत्वपूर्ण सुझाव यहां नहीं आ पाएंगे। माननीय संजय सिंह जी।

श्री संजय सिंह (राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली): उपसभापति महोदय, सदन में कैपिटल पनिशमेंट के संबंध में माननीय सदस्य प्रदीप टम्टा जी द्वारा जो प्राइवेट मेंबर बिल सदन में लाया गया है, उसे लेकर मेरे मन में दुविधा है कि इसका समर्थन किया जाए, विरोध किया जाए अथवा एक राय दी जाए। कई तरह की बातें मन में पैदा हो रही हैं। हमारी न्याय प्रक्रिया की अपनी विडम्बना है। जहां एक तरफ न्यायालय की प्रक्रियाओं में गरीब आदमी फंसा हुआ है, उसे न्याय नहीं मिल पाता, वहीं दूसरी तरफ गरीब आदमी अगर किसी मामले में अपराध का शिकार हो जाता है तो न्यायालय के चक्कर काटते-कटाते उसका पूरा जीवन बीत जाता है। उसे न्याय नहीं मिलता। उसकी कई पीढ़ियां मुकदमा लड़ती रहती हैं। दादा का मुकदमा बेटा लड़ रहा है और बेटे का मुकदमा उसका बेटा लड़ रहा है। वैसे न्यायालयों में लिखा रहता है - 'न्याय चला निर्धन से मिलने' - लेकिन कहां न्याय निर्धन से मिलने जा रहा है? देश के न्यायालयों में आज करोड़ों केसेज़ पेंडिंग हैं, तीन करोड़ से ज्यादा मामले न्यायालयों में लम्बित हैं। इसका मतलब है कि 3 करोड़ लोग, जो कहीं-न-कहीं किसी अपराध के शिकार हुए हैं, वे आज भी न्याय की प्रतीक्षा में हैं। इनमें बलात्कार के मामले, हत्या के भी मामले, डकैती के मामले, अपहरण के मामले, आतंकवाद के मामले और राष्ट्रदोह के मामले भी शामिल हैं। तमाम संगीन अपराधों में मुकदमे आज लम्बित हैं, जिनमें लोगों को न्याय नहीं मिलता। जहां तक जमीन से जुड़े मामलों का प्रश्न है, साल-दर-साल, पीढ़ी-दर-पीढ़ी, 40-40 और 50-50 साल ऐसे मुकदमे चलते हैं और लोगों को न्याय नहीं मिल पाता।

यहां मुझे वह घटना याद आती है, जब फैजाबाद की जेल से 35 साल की सजा काटने के बाद एक आदमी को छोड़ा गया। उसके ऊपर धारा 307 का मुकदमा था। उसमें अपराध के तहत जो सजा तय थी, वह उससे दो-तीन गुना ज्यादा सजा काट चुका था। उसके परिवार में कोई उसकी पैरवी करने वाला नहीं था। 35 साल की सजा काटने के बाद उस बूढ़े आदमी को 75 साल की अवस्था में फैजाबाद की जेल से छोड़ा गया। जब किसी न्यायाधीश या किसी न्यायिक प्रक्रिया में मदद करने वाली संस्था ने उसकी मदद की, तब वह बाहर आ पाया। जब वह बाहर आया, तो उसे पूछने के लिए उसके परिवार का कोई सदस्य नहीं था। उसे रहने के लिए एक संस्था ने स्थान दिया, तब उसका बाकी का जीवन बीत पाया। यह उस पीड़ित आदमी की व्यथा है, जिसके पास पैसे नहीं होते, जो अपनी गरीबी और मुफलिसी के कारण न्यायालय से न्याय नहीं पाता और सालों-साल जेल में सजा काटने के लिए मजबूर होता है, लेकिन वहीं दूसरी तरफ ऐसी तमाम संगीन वारदातें होती हैं, ऐसी तमाम नृशंस हत्याएं होती हैं, ऐसी तमाम मासूम बच्चियों के साथ बलात्कार की घटना होती है, जिसके बारे में आप सोचेंगे, तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं। ऐसा लगता है कि

[श्री संजय सिंह]

मानवता, इंसानियत दरिंदगी में तबदील हो गई है, हैवानियत में तबदील हो गई है। जब हम देखते हैं, अलीगढ़ में ढाई साल की एक बच्ची की नृशंस हत्या कर दी जाती है, जब हम देखते हैं, हमीरपुर में एक मासूम बच्ची के साथ बलात्कार करके उसकी हत्या कर दी जाती है, जब हम देखते हैं, मेरठ में दो मासूम बच्चियों के साथ बलात्कार करके उनकी हत्या कर दी जाती है, जब हम देखते हैं, बिहार में ईस्ट चम्पारण में पांच साल की एक बच्ची के साथ बलात्कार करके उसकी हत्या कर दी जाती है, जब ऐसी घटनाएं अखबारों के माध्यम से टीवी के माध्यम से सामने आती हैं, तो मानवता शर्मसार होती हे। लगता है कि कैसी दरिंदगी की तरफ, कैसी हैवानियत की तरफ पूरा समाज बढ़ रहा है। अभी एक मामला सामने आया, जिसमें आठ साल की बच्ची के साथ कठुआ के अंदर बलात्कार हुआ। बलात्कार के बाद उसमें राजनीति घुस गई और एक पार्टी के तीन-तीन मंत्रियों ने बलात्कारियों के समर्थन में तिरंगा झंडा लेकर रैली निकालने का काम किया। मैं पूछना चाहता हूं ऐसे कैसे न्याय मिलेगा, जब सरकार में बैठे हुए लोग बलात्कारियों के समर्थन में खड़े होंगे? कैसे न्याय मिलेगा, जब एक संस्था, जहां से लोगों को उम्मीद होती है कि वहां से मदद मिलेगी, वही लोग अपराधियों के पक्ष में खड़े हो जाएं। मैं ऐसा व्यक्तिगत तौर पर बिल्कुल मानता हूं कि ऐसे दरिंदे, जो मासूम बच्चियों के साथ बलात्कार करके उनकी हत्या करते हैं, उन्हें फांसी की सजा मिलनी चाहिए। ये rarest of rare cases हैं। ऐसे मामले, जिन्हें कसाब जैसा आतंकवादी अंजाम देता है, उनमें फांसी की सजा का प्रावधान होना चाहिए। अगर मसूद अजहर छोड़ा नहीं गया होता, तो शायद आज इस दुनिया में नहीं होता और शायद उसके द्वारा फैलाई जा रही आतंकवादी गतिविधियां आज नहीं होतीं। बहुत सारे ऐसे मामले हैं, बहुत सारी ऐसी घटनाएं हैं, जिनमें बिल्कुल लगता है कि इस व्यक्ति का जीवन समाज के लिए, देश के लिए, राष्ट्र के लिए, मानवता के लिए एक गंभीर खतरा है, इसलिए इसके लिए फांसी की सजा का प्रावधान होना चाहिए। Rarest of rare cases की बातें कही गईं, लेकिन न्यायालय में भी rarest of rare cases को डिफाइन करने की अपनी एक अलग परिभाषा चलती है। मैं न्यायालयों के प्रति पूरे सम्मान के साथ कहना चाहता हूं कि क्या कठुआ का मामला Rarest of rare cases में नहीं आता? क्या ऐसे मामले, जिनमें अपराधी मासूम बच्चियों के साथ बलात्कार करते हैं, उन्हें फांसी की सजा नहीं होनी चाहिए? मान्यवर, ऐसे बहुत सारे मामले हैं, जिनमें निर्दोष लोग लाखों-हजारों की संख्या में देश भर की जेलों में सजा काट रहे हैं। उनकी सजा पूरी हो गई, लेकिन पैरवी करने वाला कोई नहीं है, जिसके कारण वे बाहर नहीं आ पाते, उनकी न्यायालयों में सुनवाई नहीं होती। मैं सरकार से अनुरोध करूंगा कि ऐसे मामलों की समीक्षा करके, उसकी जांच कराकर, ऐसे तमाम लोग, जो गरीबी के कारण, मुफलिसी के कारण, छोटे-छोटे अपराधों में सालों-साल जेल में सजा काट रहे हैं, उनको बाहर निकालने का काम कीजिए। जो नृशंसा हत्या करने वाले लोग हैं, जो मासूम बच्चियों के साथ बलात्कार करने वाले लोग हैं, जो इस राष्ट्र को खतरा पहुंचाने वाले लोग हैं, जो आतंकवादी घटनाओं को अंजाम देने वाले लोग हैं, जो ब्लास्ट करके लोगों को मारने वाले लोग हैं, मैं ऐसा व्यक्तिगत तौर पर मानता हूं कि उनके लिए फांसी की सजा का प्रावधान होना ही चाहिए। मान्यवर, यह होना ही चाहिए। मैं ऐसा व्यक्तिगत तौर पर मानता हूं, क्योंकि अगर मसूद अजहर के मामले में फांसी की सज़ा हो गई होती, तो उसको छोड़ने का कोई रास्ता ही नहीं बचता, लेकिन पता चला कि उसको दबाव

बनाकर, उस समय एक पार्टी की सरकार थी - मान्यवर, यहां पर पार्टी का नाम लेना मना है, तो मैं नाम नहीं लूंगा - वही लोग छोड़कर आ गए। वही लोग छोड़कर आ गए, जो राष्ट्रवाद के ऊपर और देशभक्ति के ऊपर दूसरों पर सवाल खड़ा करते हैं। मैं यह इसलिए कहना चाहता हूं, क्योंकि आज जरूरत इस बात की है कि हम न्यायिक प्रक्रिया को ठीक करें, उसमें जो आवश्यक सुधार है, वह लाया जाए, न्यायालयों की संख्या बढ़ाई जाए, जज़ों की संख्या बढ़ाई जाए और त्वरित न्यायालयों, fast track courts का गठन करके कम-से-कम मासूम बच्चियों के साथ जो बलात्कार की घटनाएं हो रही हैं, जो हमारे समाज पर एक बड़ा कलंक है, ऐसे मामलों को छ: महीने में न्यायिक प्रक्रिया के अंदर, fast track courts के अंदर दोषियों पर आरोप तय करके उनको सजाएं दी जाएं। फांसी की सज़ा का प्रावधान rarest of rare cases में है। आपने मासूम बच्चियों के मामले में वह प्रावधान रखा भी है। पिछली सरकाचर ने ऐसा बिल भी पास किया था, मैं उसका स्वागत करता हूं, लेकिन जब तक वह जमीन पर सच नहीं होगा, तब तक समाज की कलंकित करने वाले ऐसे अपराध नहीं रुकेंगे, तब तक समाज को कलंकित करने वाली ऐसी घटनाएं नहीं रुकेंगी और यह सब कुछ जारी रहेगा।

प्रदीप टम्टा जी ने बिल्कुल ठीक कहा कि कई देशों ने इस पर प्रतिबंध लगाया है। इस पर कई देशों ने प्रतिबंध लगाया है, लेकिन इसको देखने के दो नजरिये होने चाहिए - एक वह नजरिया, जिसमें निर्दोष व्यक्ति को फांसी की सज़ा गलती से न हो जाए, उसके लिए हमारी न्यायिक प्रक्रिया में, न्यायिक व्यवस्था में सुधार हो और एक वह नजरिया, जिसमें दुर्दंड अपराधी भी अपने पैसे के बल पर खुलेआम घूमता रहे, क्योंकि वह लाखों रुपये देकर वकील कर सकता है, वह हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट तक सालों-साल अपनी पैरवी करा सकता है, वह अपने पैसे के दम पर न्याय की प्रक्रिया के साथ खिलवाड़ कर सकता है। ऐसे मामलों पर भी रोक लग सके और "न्याय चला निर्धन से मिलने" की जो बात है, वह सच साबित हो सके, ऐसी अपेक्षा में सरकार से करता हूं। आपने मुझे बोलने का मौका दिया, इसके लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।

डा. डी.पी. वत्स (हरियाणा): माननीय उपसभापति जी, मैं आपका कृतज्ञ हूं कि ऐसे अहम मामले के डिस्कशन पर आपने मुझे बोलने की परमिशन दी।

At the very outset, I would like to convey to everybody that for 40 years, I have served in an organization, that is, the Indian Army, where we can even give summary capital punishment, or do summary capital execution, in case of cowardice in the face of enemy. To maintain the law and order, there are many factors, like the state of employment and unemployment, population in itself, upbringing of an individual to form the personality of the person, his parentage, his environment and even the genetic predilection. But, while maintaining all those factors, we train the soldiers to maintain the discipline. We make the bent of mind to be discipline loving. At the same time, we create an environment and conditions that our soldiers do not indulge in indiscipline or breaking the law and order. Not only that, to save the motherland and to save the mother nation, we get killed while delivering our duties. But, at the same time, we think

[डा. डी.पी. वत्स]

that discipline has a very big factor. Sir, the factor is deterrent punishment and exemplary punishment. Deterrent punishment is that if the criminal repeats the crime, then he should be scared that he will meet the same punishment and an exemplary punishment is unusually harsh and is intended to stop other people from committing similar crimes. It should create a fear among others that if you do this, you will also get the same punishment. Sir, when we administer the punishment in the process of cashiering, we take the offence-committer in the public and remove his rank, remove his belt and divest him of all the facilities and the benefits that he should have got, if he should have retired honourably. Sir, one of my hon. colleague was saying that sixty per cent of the world's population still comes under the countries which administer capital punishment. The crime rate is minimum in Saudi Arabia because the punishment is highly deterrent, and if I am not wrong, it is brutal. In China also, the crime rate has come reasonably down, once they started giving capital punishment, even for economic offences. Sir, as far as our country is concerned, that is very correct to say that not only in case of murder or assassination, in case of mutiny, raging war against the nation, even in criminal conspiracy, there should be capital punishment. Sir, I belong to the State of Haryana and we have instituted capital punishment for rape and for murder of a child. Sir, under these situations, where a Parliament has been attacked, where a serving Prime Minister was assassinated and many political assassinations took place, and under these situations also, we say that we should abolish the capital punishment. This goal seems to be very unrealistic. How this seems to be unrealistic? Sir, the countries which abolished capital punishments before that their crime rate has come down considerably. Their other environmental conditions; education, employment and motivational levels are very high. I will bring some instances from Haryana.

Sir, I would request the august House that crime should not be given a caste tinge. The people who are languishing in jails, their caste should not be counted. Their crime and the magnitude of their crime should be counted and, Sir, for your kind information, in Haryana Jails, maximum number of prisoners are from general category and not from Scheduled Castes or Scheduled Tribes. Therefore, I request that crime should not be given a caste tinge. A study has been carried out in Stockholm, Sweden. Sir, being a doctor, I would like to dilate upon that study. They say that there is a specific DNA, a specific gene which is compulsive to repeat the crimes. In the State of Haryana, there are many examples of such kind. If you are jailed for any crime, you come out on parole, you again commit the crime, *i.e.*, homicide or any other crime, you are again likely to

go to jail. Sir, there is a reward of ₹ 50,000 or even more than that for catching all these habitual offenders and very hard-core criminals. Let me give an example. One girl with her husband killed the entire family, committed 12 murders, and, is in Haryana jail. Due to pressure from Uttar Pradesh of encounter or punishing the criminals, all criminals shifted to their parent State, that is, Haryana, and they surrendered. Now, under these circumstances, if you keep alive the dreaded and habitual offenders, you are inviting law and order problems.

Sir, today, Budget was being discussed, and, it was told by some of my hon. Colleagues that India had 25 per cent share of world' s business at one time before the invaders came, and, then, it reduced to considerably low level at a later stage. Now, if we had 25 per cent share of world' s business, our law and order and our civil administration was superb even in Prithviraj Chauhan' s regime, then, what went wrong? What went wrong was the law and order. We could not defend the nation, we could not defend the society, we could not defend the economy, and, therefore, to defend that, deterrent punishment to the enemies of the nation, deterrent punishment to the enemies of the society, deterrent punishment to the potential criminals is a must so that you can maintain the law and order. Otherwise, there will be chaos. At one stage, the dreaded dictator, Adolf Hitler had commented that democracy is synonyms with chaos. As far as our country is concerned, when the Indian Independence was being debated in British Parliament, at one point, the Opposition leader, who was erstwhile Major from British Indian Army —their war time Prime Minister but when we got liberated, he was not the Prime Minister —once commented, ruling the coloured races is White Man' s Burden. Therefore, they do not deserve independence because they are incapable of governing themselves, and, how this chaos came subsequently.

In British time, the murderer used to go to gallows, that also publicly, within two years. In Army, we institute the punishment, or, I should say, justice, and, we deliver it within two years. There are countries even in the United States or United Kingdom, where the murderer goes to electric chair for execution, or, cyanide capsule within one and a half years or within two years.

As Chairman, Haryana Public Service Commission, I selected Judges and there were three High Court Judges as Members. Once, I just commented, ' Justice delayed is justice denied' . One of my friend Judges, who was ex-Army officer, who was with me even in Armed Forces, commented, "No, General *Sahib*, ' justice delayed is justice delivered' ." I asked how. He said, वकीलों को पैसे देते-देते, कोर्ट के चक्कर लगाते-लगाते पन्द्रह साल, बीस साल बीत जाते हैं। उनके घुटने टूट जाते हैं, उनकी पॉकेट का मनी खत्म हो जाता है। वे अपने आप घर पर बैठ जाते हैं। That is ' justice delivered' .

[डा. डी.पी. वत्स]

Now, if this is the state of affairs, how can we run a populous nation of 132 crores? My hon. friend, Tamta ji, who has brought this Bill, has said that as per the records, after 2015, only five people have been hanged. Out of a population of 132 crores, only five have been hanged. They include men like Afzal Guru and Azmal Kasab who waged war against the nation. Then it is miniscule. Practically, this punishment stands abolished if this is the proportion of executions. If you keep low punishment, this is the state. As I mentioned what Churchill said or rather advocated, our law and order condition has come to such an in pass because Congress Government diluted the punishment. Otherwise, if it had remained a deterrent, we would have become humane. That was a wrong statement that the British brought the death penalty. No. Even *Rajas* and *Maharajas* used to award death penalties in the ancient times. Death penalty has become a must because our *sanskars* have been adulterated. Such a penalty has come into being because crime rate has increased. The reasons I would say are: population outburst, faulty education, faulty *sanskars* and increased unemployment which we will now deal with. Because of computerization and other things jobs have gone out and people have taken to crime. That has to be looked into. I was doing a military exercise near Sirhind Canal when I met with an old man of 102. He was quite hale and hearty but his son was sick. He told me that criminals with *bedis* in their legs used to be brought to Sirhind Canal and that it was dug by criminals. Earlier it used to be 'कैदे-बामशक्कत' or rigorous imprisonment. Now the *kaidis* have become a liability on the nation. He commits a crime and you say that award him life imprisonment. That way he is a liability on taxpayers and he generates more criminals. One *daroga ji* was killed by a crowd and the opposition parties sided with the people who killed him. His name was, I believe, Mahesh Chand. It happened in Batla. If that is the state of affairs, then Europe did a very good thing when it occupied Australia, America and Canada. It shifted all the criminals in jails to those countries. In our case, it used to be a *kala pani*. Their *kala pani* was Australia, Canada, America and Latin America. Now we don' t have that alternative. At least, we should award them a proper rigorous imprisonment. That should involve physical work, not torture, so that we can make a garland canal and we have that many number of prisoners. We harp upon the fact that we are poor people and we cannot afford it. But we are nurturing them in jails and we are giving them all the facilities. Under these circumstances, the law and order of this country will not improve. Research is being done on criminality and there are reports from China and Saudi Arabia. As I mentioned, there is a specific DNA. क्रिमिनल क्राइम करने से पहले बोलता जरूर है। They have a

tendency to commit crime time and again and such individuals in the society have to be eliminated. Like you eliminate a rabid dog, you eliminate bad *bhroons* even in seeds whosoever he may be or whatsoever race or caste or creed he may belong to. He is a liability, a blot on society and on the nation. He is going to obstruct the march of the nation with *sab ka sath, sab ka vikas*. वे किसी के साथ नहीं हैं, वे सभी के खिलाफ हैं। इस तरह के हालात में ऐसे लोगों पर mercy रखना, जब कि हर तरह के क्राइम हो रहे हों.. As I mentioned, there were attacks like Kashmir Assembly attack, Parliament attack, assassination of Prime Minister, etc. Under this situation, we should not lower our guard. Tomorrow you may say that there is no requirement of the guards who are standing outside or that there is no requirement of the Army. In 1962, we had a debacle because the first Prime Minister thought that there was no need of the Army and let them do? खेती-बाड़ी. That was the state of affairs till Chinese knocked us. That is why, we could defend ourselves in 1965 and we marched up to Lahore. I am proud of it because I served in that Regiment. Third Jat Battalion conquered Dograi and walked up to Lahore. Such was the situation. In 1971 also, I would rather say that we administered a semi-fatal blow to the rogue nations. Under this situation, as far as the existing provision is concerned, it is in the rarest of the rare cases or, I will say, even rarest of the rare of the rarest cases. After 2005, only four or five are executed. That is too low a ratio. I advocate that this capital punishment should not only stand, but it should also be enhanced and repeated offenders should be executed. If you do that, you will follow a role model organisation, that is, the Armed Forces, which are one of the biggest factors to keep this nation intact, whosoever may be the calamity, whosoever may be the आततायी or the enemy. Under this situation, I strongly oppose this Bill. Thank you very much for giving me a patient hearing.

श्री उपसभापति: धन्यवाद, डा. डी.पी. वत्स जी। माननीय डा. अशोक बाजपेयी जी।

डा. अशोक बाजपेयी (उत्तर प्रदेश): माननीय उपसभापति जी, आपने ऐसे गंभीर विषय पर चर्चा करने की अनुमति दी, मैं आपको धन्यवाद देता हूं। मान्यवर, आज जो देश की स्थिति है, हमको देश की काल और परिस्थिति को ध्यान में रखकर, कोई भी निर्णय लेना होता है या कुछ भी चिंतन करना होता है। आज जहां हमारे देश में आतंकवादी आकर निर्दोष नागरिकों की हत्या करके चले जाते हैं, वे 40-40 सैनिकों की जान के साथ खिलवाड़ करके चले जाते हैं। हमारे देश में तमाम नक्सलवादी, किस तरह से हमारे सुरक्षाकर्मियों की हत्या करते हैं और बड़ी संख्या में घात लगाकर उनको मारने का काम करते हैं, माओवादी जो देश की शांति और सुरक्षा दोनों के लिए खतरा बने हुए हैं, इस तरह की तमाम ताकतों से देश घिरा हुआ है। एक तरफ आप देखें, तो बाल अपराधों की भी एक ऐसी झड़ी लगी हुई है और चल रही है। समाज में आए दिन रोज़ इस पर चिंता व्यक्त की जाती है। चार-चार साल, पांच-पांच साल, तीन-तीन साल की लड़कियों के साथ बलात्कार

[डा. अशोक बाजपेयी]

और जघन्य अपराध करके उनकी हत्या कर दी जाती है। पूरा देश इससे चिंतित होता है और शर्मसार होता है। मान्यवर, क्या ऐसे अपराधियों के लिए भी हमारे दिल में कहीं पर दया होनी चाहिए? क्या इनके लिए भी क्षमा दान होना चाहिए? आज सबसे बड़ी चिंता इस बात की है और देश की भी यह जिम्मेदारी है कि देश में कानून-व्यवस्था कैसे कायम की जाए, देश में अपराध कैसे कम हों, देश की सिविल सोसाइटी अपने को कैसे सुरक्षित महसूस कर सके।

मान्यवर, एक तरफ देश में सुपारी किलर हैं, जो किसी की भी जान की सुपारी ले लेते हैं और उनकी हत्या कर देते हैं। यह सुपारी किलर्स का प्रोफेशन बन गया है। वे जिनको जानते हैं, जिनसे उनका कोई विरोध नहीं है, दुश्मनी नहीं है, उन्होंने उनका कभी अहित नहीं किया है, वे चंद पैसों के लिए ऐसे पूरे के पूरे परिवार की हत्या कर देते हैं। क्या ऐसे जघन्य अपराधियों की, जिन्होंने मानव जीवन की हत्या करने का ही व्यापार करने का काम किया है, क्या ऐसे लोगों को भी फांसी नहीं दी जाएगी? हमारा भारतीय समाज जो दुनिया के लिए एक आदर्श रहा है, उस समाज में इस तरह के दरिंदे पनपें और हम हाथ पर हाथ रखकर बैठे रहें, यह कहां तक अच्छा होगा? माननीय टम्टा जी ने एक ऐसे समय पर, जब कि देश इस समय चाहता है कि अपराधियों के प्रति कठोर रवैया अपनाया जाए, ऐसे अपराधी, जो समाज के लिए नासूर बने हुए हैं, समाज की शांति को भंग करने का काम करते हैं, निर्दोष लोगों की हत्या करते हैं, ऐसे लोगों के लिए समाज को कठोर होना चाहिए, बल्कि मैं तो कहना चाहूंगा कि प्रशासन को और कठोर अधिकार दिए जाएं, ताकि इन अपराधियों से निपटा जा सके। मान्यवर, वैसे भी अगर आप देखें - जब भी किसी को capital sentence होता है या मृत्युदंड दिया जाता है, तो सुप्रीम कोर्ट तक वे केसेज़ जाते हैं। सुप्रीम कोर्ट का पहले ही एक निर्देश है कि rarest of the rare case में ही capital sentence दिया जाता है।

मान्यवर, ऐसे अपराधों में जो बिल्कुल क्रूरतम अपराध हैं, उन्हीं अपराधों में इस तरह के दंड की व्यवस्था है। सामान्य अपराधों में इस तरह का दंड नहीं होता है। अगर आप rarest of the rare अपराधियों के प्रति क्षमादान करेंगे और ऐसे लोगों को भी मृत्युदंड नहीं दिया जाएगा, तो इन अपराधियों के मन से कानून का सारा भय समाप्त हो जाएगा।

मान्यवर, कोई भी शासन, कोई भी राज्य, कोई भी व्यवस्था बिना कानून के नहीं चलती, बिना भय के नहीं चलती। अगर राज्य का, प्रशासन का भय समाप्त हो जाए, अपराधी निरंकुश हो जाएं, तो 130 करोड़ लोगों के जन-जीवन की सुरक्षा कौन करेगा? अपराधी स्वतंत्र हो जाएंगे, निरंकुश हो जाएंगे। मान्यवर, आपने देखा होगा कि अपराधियों को जेलों का भय नहीं रहता है। जैसा हमारे माननीय मित्र ने कहा कि आजीवन कारावास की सजा होनी चाहिए। आजीवन कारावास की सजा काटने के बाद अपराधी फिर जेल से बाहर आ जाते हैं। पांच-सात साल की जेल की सजा, उनके लिए ऐशगाह बन जाया करती है और वे वहां पर बैठकर हुकुम चलाते हैं और उनके अपराध का साम्राज्य बाहर चला करता है। ऐसे जघन्य अपराधियों को हम सरकारी खर्चे पर, पब्लिक एक्सचेकर पर पालन का काम करें और जेल के अंदर रहकर वे बाहर अपराधियों का nexus चलाएं और

अपराध तंत्र का वहां से संचालन करें, यह इस सोसायटी के लिए और हमारे लिए अच्छा नहीं होगा।

मान्यवर, कई बार इन सारी चीज़ों पर तमाम चिंतन हुआ। लॉ कमीशन ने भी इस पर विचार किय और तमाम देश में और इस सदन में भी इस पर चर्चा हुई। यह इस देश के लोगों का मानना है कि अपराधियों के प्रति, जो इतने निर्दयी हैं, जो इतने निर्मम अपराध करते हैं, उनके साथ कठोर व्यवहार किया जाना चाहिए, उनके प्रति कोई उदारता नहीं बरतनी चाहिए।

मान्यवर, यह विषय संविधान सभा के भी समक्ष आया और संविधान सभा ने भी मृत्युदंड के ऊपर काफी चिंतन किया और हमारे तमाम विधिवेत्ताओं ने भी इस पर चिंतन किया। मैं समझता हूं कि आज के समय में जब कि विभिन्न प्रकार के अपराध बढ़ रहे हैं, ऐसे में अपराधियों के प्रति और कठोर होने की आवश्यकता है और ऐसे जघन्य अपराधियों के प्रति कोई दया-भाव दिखाने की आवश्यकता नहीं है। अगर हम चाहते हैं कि कानून का राज्य कायम हो, देश में शांति व्यवस्था हो, देश का नागरिक सामान्य ढंग से अपना जीवन जी सके। मान्यवर, जैसा मैंने पहले जिक्र किया आज बहुत से सारे ऐसे अपराधी हैं, जिनका कोई व्यापार नहीं है। किसी भी बड़े आदमी का अपहरण कर लेना, फिरौती मांगना और फिरौती में विलंब आ जाए, तो उसका गला काटकर उसका शव कहीं जंगल में डाल देना, लड़कों को उठा ले जाना, स्कूल से बच्चों को उठा ले जाना, उन निर्दोष बच्चों के नामपर फिरौती मांगना, फिरौती मिलने में विलंब हो जाए, तो उनका गला काटकर डाल देना, ऐसी तमाम घटनाएं रोज देश में घटित होती हैं। क्यो ऐसे अपराधियों के प्रति भी यह सदन दयावान होगा? ऐसे लोगों के प्रति भी हम लोगों को हमदर्दी दिखानी होगी, कैसे देश का कानून चलेगा? कैसे देश में शांति-व्यवस्था कामय रह सकेगी? ये बहुत गंभीर सवाल हैं, इन सवालों के ऊपर विचार करने की जरूरत है। मैं समझता हूं कि हमारे बहुत सारे मित्रों ने कहा है कि मृत्युदंड वैसे भी सामान्यत: नहीं दिया जाता ऐसे ही अपराधी, जो जघन्य अपराधी हैं, निर्मम अपराधी हैं, जिनका केवल पेशा अपराध करना है और जो दूसरों के जीवन से खिलवाड़ करते रहे हैं, ऐसे लोगों को ही मृत्युदंड की सजा देने का प्रावधान रहा है, तो मैं समझता हूं कि मृत्युदंड आज के युग में आवश्यक है और इसको और कठोर बनाया जाना चाहिए।

मान्यवर, जहां तक दूसरे देशों की चर्चा की गई, एशिया के तमाम सारे देशों में मृत्युदंड की व्यवस्था है। चाहे चीन हो, पाकिस्तान हो, बांग्लादेश हो या हमारे पड़ोसी देश हों, उन सारे देशों में... आज अमेरिका में भी मृत्युदंड की व्यवस्था है। तमाम वे देश, जो देश में कानून का राज्य कायम करना चाहते हैं, उन्होंने अपने यहां मृत्युदंड की व्यवस्था की है और ज्यादा निर्ममता के साथ मृत्युदंड देने का काम किया है। हमारे यहां तो बहुत मानवीय ढंग से मृत्युदंड दिया जाता है।

मान्यवर, अपराधियों के साथ किसी भी तरीके की, उदारता बरतना देश में अपराधियों को संरक्षण देने के समान होगा। यह हमारे लोकतंत्र का सर्वोच्च सदन है, जहां सारे वरिष्ठजन रहते हैं। हम सभी को और इस सदन को इस पर गंभीरता से विचार करना चाहिए। हम सब की आस्था लोकतंत्र में है। इसलिए मऐसे जघन्य अपराधियों को सख्त सजा मिलनी चाहिए, जो हमारे समाज के लिए, लोगों के जीवन के लिए खतरा बने हैं और जो क्षणिक स्वार्थ के लिए दूसरे के जीवन को समाप्त

[डा. अशोक बाजपेयी]

करने का काम करते हैं, वे देश की सुरक्षा के लिए खतरा हैं। आज आतंकवादियों से पूरा देश त्रस्त है। वे कब सीमा पर आकर बमबारी करते हैं, वहां पर निर्दोष नागरिकों की हत्या करके चले जाते हैं, हमारे सैनिकों की हत्या करके चले जाते हैं। मुम्बई की वह घटना आज भी यह देश भूला नहीं है, जिस तरह से आतंकवादियों ने आकर सैकड़ों लोगों की हत्या करने का काम किया। उपसभापति महोदय, क्या ऐसे अपराधियों के प्रति भी सदन दया करेगा? मेरा मानना है...**(व्यवधान)**...

श्री उपसभापति: माननीय डा. अशोक बाजपेयी जी, एक मिनट के लिए आप अपना स्थान ग्रहण करें। चूंकि Private Members' Legislative Business ढाई घंटे का होता है और आज हम 3.00 बजे बैठे तथा 5.30 बजे तक यह बहस चली, इसलिए इस विषय पर जो बिल, the Abolition of Capital Punishment Bill, 2016 श्री प्रदीप टम्टा जी लाए हैं, इस पर आगे बहस जारी रहेगी। डा, अशोक बाजपेयी जी, आपकी बात अधूरी है। आगे जब इस विषय पर बहस होगी, तब आपको और मौका मिलेगा। Now, Message from the Lok Sabha.

MESSAGE FROM LOK SABHA

The Central Universities (Amendment) Bill, 2019

SECRETARY-GENERAL: Sir, I have to report to the House the following message received from the Lok Sabha, signed by the Secretary-General of the Lok Sabha:-

"In accordance with the provisions of rule 96 of the Rules of Procedure and Conduct of Business in Lok Sabha, I am directed to enclose the Central Universities (Amendment) Bill, 2019, as passed by Lok Sabha at its sitting held on the 12th July, 2019."

Sir, I lay a copy of the Bill on the Table.

SPECIAL MENTIONS

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Now, the Special Mentions. Prof. Manoj Kumar Jha.

Demand to discard the computer based testing mode for the exams conducted by NTA

PROF. MANOJ KUMAR JHA (Bihar): Sir, a very few Indian students go through computer aided instruction and reading on screen is an alien experience for them. Digital India, ASER 2017 reported that nationally, 63.7 per cent of the rural youth surveyed had never used the internet. For many districts in Bihar, West Bengal, Odisha, Jharkhand and